

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 364] No. 364] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 2008/आषाढ़ 14, 1930 NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 2008/ASADHA 14, 1930

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

( स्वास्थ्य विभाग )

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 499(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि औषधि विनिर्मितियां जिसमें डायक्लोफेनक अंतर्विष्ट हैं, पशुओं के लिए जोखिम होना संभावित है;

और, उक्त औषधि का सुरक्षित विकल्प उपलब्ध;

और, केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि यह पशु उपयोग के लिए डायक्लोफेनक और इसकी विनिर्मितियों का विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषेध करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है:

अत: अब, केंद्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित औषधि के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषिद्ध करती है, अर्थात् :—

''पशु उपयोग के लिए डायक्लोफेनक और इसकी विनिर्मितियां''

[फा. सं. एक्स-11014/6/2007-डी.एफ.क्यू.सी.]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## (Department of Health) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2008

G.S.R. 499(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of drug formulations containing Diclofenac are likely to involve risk to animals;

And, whereas, safer alternative to the said drug is available;

And, whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit the manufacture, sale and distribution of Diclofenac and its formulations for animal use;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics, Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drug, with immediate effect, namely:—

"Diclofenac and its formulations for animal use".

[F. No. X-11014/6/2007-DFQC] DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

2540 GI/2008